

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 1466


दिनांक: 11.08.2020

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 74/2016 में निर्णय दिनांक 11.08.2020 के द्वारा मोहर सिंह, जसराम, बृजलाल, फकीरचन्द पिसरान नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ के रायसिंहपुरा 510/2 में 7.590 हैक्टर गैर मुमकिन चारागाह में अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप 158 रूपये तावान से दण्डित किया गया है।


अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 1466


तहसीलदार (राजस्व)
नोहर
दिनांक:- 11.08.2020

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. भूअभिलेख निरीक्षक मेघाना को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर/फर्द निलामी वास्ते स्वीकृति पेश करने हेतु।
2. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
3. पटवारी हल्का रायसिंहपुरा को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।


तहसीलदार (राजस्व)
नोहर
बाहर